# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :–3776/2025**

रविन्द्र

**–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, झुंझुंनू।
4. जयप्रकाश महला, अतिरिक्त जिला अधिकारी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कांकोलगढ़ कार्यालय, जिला बालोतरा।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 05.08.2025
**आदेश की दिनांक** : 21.08.2025

**उपस्थित –**

अपीलार्थी की ओर से : श्री अमन भामू/विकास यादव, अधिवक्ता
निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से : श्री बी.बी.एल. शर्मा, अधिवक्ता

**समक्ष :– पूनम दरगन, सदस्य (न्यायिक)**
**लेखराज तोसावड़ा, सदस्य**

## आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से वर्तमान मामले में पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर बहस सुनी गई और स्वीकार कर शामिल मिशल पर रिकॉड पर लिया गया।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी वर्तमान में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, झुंझुंनू में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.08.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को एपीओ दर्शाते हुए स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यालय निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर में किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 04.08.2025 (अनुलग्नक–2) के द्वारा

अपीलार्थी को हाल एपीओं कार्यालय निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सिरंगसर ब्लॉक नोहर जिला हनुमानगढ़ में प्रधानाचार्य के समकक्ष पद पर पदस्थापन कर दिनांक 04.08.2025 (अनुलग्नक–3) के द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया तथा अपीलार्थी को टी.ए.डी.ए. भी स्वीकृत किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 30.10.1994 (अनुलग्नक–4) के द्वारा अपीलार्थी को व्याख्याता ग्रेड–1 के पद पर नियुक्त किया गया। अपीलार्थी की जन्म तिथि 05.09.1965 है अपीलार्थी की सेवानिवृति में मात्र 02 माह का समय ही शेष है। प्रत्यर्थी विभाग राजस्थान सेवा नियम–1951 के नियम–25ए के प्रावधानों के विपरीत जाकर उक्त आलोच्य आदेश पारित किया गया है, जो अनुचित एवं विधि–विरूद्ध है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के एपीओ आदेश दिनांक 03.08.2025 एवं पदस्थापन आदेश दिनांक 04.08.2025 तथा कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 04.08.2025 को अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे अपीलार्थी को अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यलय, जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, जिला झुंझुंनू में समस्त वेतन सहित निरन्तर कार्य करने दिया जावे।

3. हमनें अपीलार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. अतः उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए हस्तगत अपील में न्यायाहित में अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन इस आदेश की दिनांक से 4 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 4 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण नहीं किये जाने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में पारित आलोच्य एपीओ आदेश दिनांक 03.08.2025 पदस्थापन आदेश दिनांक 04.08.2025 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 04.08.2025 (अनुलग्नक–1, 2 एवं 3) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित रहेगा एवं साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जावें जहां वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था।

5. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।
6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

**(लेखराज तोसावड़ा)**
**सदस्य**

**(पूनम दरगन)**
**सदस्य (न्यायिक)**